न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/57

प्रभूलाल आयु 60 वर्ष आत्मज स्व0 श्री भंवर लाल जाति धाकड निवासी ग्राम उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

मांगी बाई आत्मज श्री गोपाल जाति धाकड निवीस ग्राम उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बृजमोहन मालव, श्री रविन्द्र नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 30.12.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 07.09.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम उण्डवा तहीसल रामगंजमण्डी में खाता संख्या 476 की खसरा नम्बर 1078 रकबा 0.06 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादिनी के खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रतिवादी द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर लिया गहया है । वादिनी द्वारा कई बार प्रतिवादी से कब्जा हटाने के लिए कहने पर प्रतिवादी वादिनी से मारपीट करने पर आमादा हो गया ।

3. अतः वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर वादिनी के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादिनी को दिलाया जावे तथा वादिनी को बतौर हर्जा खर्चा 10,000/– प्रतिवर्ष के हिसाब से दिलवाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.09.2020 के द्वारा वाद वादिनी स्वीकार कर डिक्री करते हुए वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादिनी को दिये जाने के आदेश पारित किये ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2020 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही सुनवायी एवं जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट पर सम्मन की तामील होना मानकर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय व डिक्री पारित कर दी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

7. प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में दिनांक 30.08.2022 को आदेश पारित करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य करने का आदेश पारित किया है ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलान्ट को सूचना दिये बिना उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलान्ट पर सम्मन की तामील होना मानकर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर एकपक्षीय निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चस्पानगी का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था इसके उपरान्त भी तामील कुनिन्दा ने व्यक्तिगत रूप से तामील कराने का प्रयास किये बिना ही सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत मकान पर सम्मन चस्पा करने में त्रुटि की है । उक्त मकान खुला हुआ था अथवा बन्द था इसका भी रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उपस्थित गवाहान की बल्दियत एवं सकुनत निवास स्थान भी अंकित नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से अपीलान्ट पर सम्मन की तामील होना मानकर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर एकपक्षीय निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। प्रतिवादी अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी पर पिछले 40–50 वर्षों से बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है । प्रश्नगत भूमि पर हमारा कब्जा है । प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए । इसी न्यायालय के आदेश दिनांक 30.08.2022 से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को प्रोपर तामील नहीं हुई तथा उन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर अपना पक्ष रखने का अधिकार

दिया जाए । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2020 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2002 (1) पेज 100, आरआरटी 2019 (2) पेज 1354, आरआरडी 1984 पेज 45 उद्धृत किये ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादिनी रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी की रिकॉर्डेड खातेदार है । प्रतिवादी अपीलान्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये थे इसलिए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त कराने के लिए आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के तहत अधीनस्थ न्यायालय में ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था । अपीलान्ट का अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना में वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी अपीलान्ट को बेदखल कर दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है जिसकी किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2020 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत एससीसी 2005 (1) पेज 787 उद्धृत किया ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं विद्वान् अभिभाषकगण उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने न्यायिक दृष्टांत पेश करते हुए तर्क दिया है कि जब प्रकरण में अपीलान्ट सीधे ही धारा 96 (2) के तहत अपील में नहीं आकर इन्हें आदेश 09 नियम 13 के तहत उसी न्यायालय में उपस्थित होना चाहिए था । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने न्यायिक दृष्टांत पेश कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर कथन किया कि उन्हें सुनवाई का अधिकार मिलना चाहिए तथा कानूनन अपीलान्ट अपील कर सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है । हमारे विनम्र मत में चूँकि वादी का वाद मुख्यतः बेदखली (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183) का है । जिस प्रतिवादी के विरूद्ध बेदखली का आदेश दिया गया है, उससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर सुना जाना आवश्यक है । हम विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अधीनस्थ न्यायालय को आदेश 09 नियम 13 के तहत ही कार्यवाही करनी चाहिए । हमारे मत अनुसार प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है । न्यायालय हाजा की आदेशिका दिनांक 30.08.2022 पर प्रकरण के विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन किया गया है । दिनांक 30.08.2022 पर अंकित विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को विधिवत रूप से सम्मन तामील नहीं हुए । अतः उन्हें सुनवाई तथा अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना उचित होगा ।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2020 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान

करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे 31.01.2023 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 30.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा